

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

लोक निर्माण अनुभाग-12

लखनऊ : दिनांक १० जनवरी, 2021

विषय:- अवैध ढाबों को हटायें जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 18.01.2021 से दिनांक 17.02.2021 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षित कार्यवाहियां करायी जा रही हैं।

2- इस क्रम में अवगत कराना है कि सड़क के किनारों पर उनके राईट आफ वे में खड़े होने वाले वाहनों के कारण अत्यधिक दुर्घटनायें होती हैं और सड़कों पर अवैध ढंग से वाहनों के पार्क होने एक मुख्य कारण सड़कों के किनारे अवैध ढाबों का स्थापित होना है। अतः सड़क सुरक्षा हेतु अवैध ढाबों का हटाया जाना आवश्यक है।

कृपया सड़कों के किनारे बने अवैध ढाबों को हटाये जाने तथा भविष्य में मार्गों के किनारें अवैध ढाबे न बनने पाये, इस हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

SP/ADM/TA/SE Pwd/

भुवदीप,

20/1/21

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

D.M.
20.1.2021

सं०- 41 (1) / 23-12-2021 तददिनांक

प्रतिलिपित निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ कि जिला/पुलिस प्रशासन का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मार्गों के किनारे स्थापित अवैध ढाबों को हटाये जाने हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-

- (1) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (2) प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (3) मुख्य अभियन्ता (रा०मा०), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम, लखनऊ।
- (5) क्षेत्रीय अधिकारी (ईस्ट/वेस्ट), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी/लखनऊ।
- (6) समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- (7) अधीक्षण अभियन्ता, आई०डी०एस० वृत्त, लो०नि०वि० लखनऊ।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

सं०- 41 (1) / 23-12-2021 तददिनांक

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (2) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।